न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 139/2021
आरसीएमएस नं.:–2021/139

सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह आयु 50 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 36 एम.ओ. डी. (जोड़किया) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

1. बलवीर सिह पुत्र श्री धन सिंह जाति जटसिख, निवासी चक 36 एम.ओ.डी. (जोड़किया) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी

2. सुखदर्शन सिंह पुत्र श्री धन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एम.ओ.डी. (जोड़किया) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. आरएमजीबी बैंक शाखा सूरावाली जरिये शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी बैंक शाखा सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. एचडीएफसी बैंक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
6. उपपंजीयक कार्यालय रावतसर तहसील रावतसर

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।
प्रकरण संख्या 32/2017 बअनवानी ''बलवीर सिह बनाम सुखमन्दर सिंह आदि''

उपस्थितिः–
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक, अपीलांट
श्री धीर सिंह बराड़ एवं औमप्रकाश गोदारा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री मोहन मुंजाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5

निर्णय

दिनांकः– 2.XI.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –क के अन्तर्गत चक 36 एम. ओ.डी. तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 415/88 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की 5.566 है0 भूमि में अपीलाण्ट की खाता संख्या 421/290 के पत्थर नम्बर 44/254 (27) के किला नं. 5 के उत्तरी पूर्वी कोने पर 16 फुट 6 इंच में से होकर पत्थर नम्बर 44/253 के किला नं. 25 के दक्षिण पूर्वी कोना से आवागमन करने व पत्थर नं. 44/255 में स्थित भूमि में अपीलाण्ट की भूमि पत्थर नंबर 44/254 (27) के किला नं. 21 के पश्चिमी–दक्षिणी कोना पर 16 फुट 6 इंच चौड़ाई में से अपनी भूमि में आवागमन करने के कथन करते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है। अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का मनमाना आदेश पारित किया है। यदि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है तो उनके द्वारा फसल किस प्रकार काश्त की जा रह है जबकि मौका पर रेस्पोडेंट की समस्त भूमि में फसल काश्त है। इस संबंध में अपीलाण्ट की जवाब देही का अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी भूमि में पतथर नम्बर 45/255 के किला नम्बर 5 के उत्तरी पूर्वी सिरा से होकर अपनी भूमि पत्थर नम्बर 44/255 के किला नम्बर 1 में प्रवेश करने व पत्थर नम्बर 44/253 की भूमि में पत्थर नम्बर 45/253 के किला नम्बर 16 में प्रवेश करने के स्पष्ट कथन किये थे जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं किया गया है ना ही इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। उक्त रिपोर्ट कतई गलत व विधि विरूद्ध व मौका की स्थिति के विपरीत तैयार की गई है। तहसीलदार महोदय ने अपनी इस कथित रिपोर्ट में जांच भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई होने के कथन किये जबकि भू– अभिलेख निरीक्षण द्वारा मौका की कोई जांच नहीं की गई व ना ही ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गई। मात्र पटवारी हल्का द्वारा किया हुआ नक्शा इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुआ। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट नम्बर 11541/2018 में दिनांक 01.03.2019 को आदेश पारितर करते हुए पटवारी की रिपोर्ट रास्ता स्वीकृति के मामला में अवैध व अनुचित माना हैं। धारा 251–ए में रास्ता स्वीकृति के लिए नियम 69 के अन्तर्गत या तो उपखण्ड अधिकारी अथवा भू– अभिलेख निरीक्षक से अनिम्तर अधिकारी मौका की जांच करेगा। रिपोर्ट के रेस्पोडेण्ट के फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। मौका पर रास्ता के आलामात नहीं है ना ही इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट द्वारा छायाचित्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और स्वीकृत रास्ता के अलावा काई रास्ता नही लगता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट को रास्ता में आई भूमि के बदले में डीएलसी दर की दोगुना राशि दी गई है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने का कथन किया।
6. शेष रेस्पोडेण्ट के अधिवक्तागण ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायलाय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि में आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–'क' के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायलाय ने स्वीकार कर प्रश्गनत रास्ता स्वीकार किया है। धारा 251 –'क' के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने के लिए रास्ते की परम आवश्यकता, एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दूओं को देखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019 संलग्न है। इस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 4 में अन्य कोई विकल्प नहीं होना बताया है एवं बिन्दू संख्या 5 में निकटतम दोनों प. नं. हेतु रास्ते चालू हैं लेकिन धुमाव की जगह न होने से आवामन बाधित है। इससे स्पष्ट है कि जो रास्ता है उसमें घुमाव की जगह न होने के कारण आवागमन बाधित है एवं चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु जो रास्ता स्वीकृत किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 21.11.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

21/11/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़